मुख्यमंत्री पोशाक योजना की अर्हत्ता संबंधी विवरणी

- मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3–5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500/– नगद प्रदान किया जाता है। इस राशि से दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता द्वारा किया जाता है।
- वर्ग 1 एवं 2 के सभी बालिका एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के सभी बालक को सर्व शिक्षा अभियान के तहत 400/– की दर से राशि उपलब्ध कराया जाता है।
- इस योजना का लाभ राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं को ही प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी खास प्रपत्र में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है।